न्यायालय / कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश

{ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अधीन }

पत्रांक 371-74/425 /रा.आ.दि.ज./2025

लखनऊ, दिनांक : 03/06/2025

सेवा में

महानिदेशक

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश

कैसरबाग लखनऊ – 226001

विषयः- उत्तर प्रदेश में बौद्धिक एवं विशिष्ट अधिगम (SLD) दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यू0डी0आई0डी0 कार्ड जारी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) 2016 में निहित प्रावधानानुसार बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता SLD (डिस्लेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया) को मुख्यधारा में सम्मिलित किए जाने हेतु सक्रिय रणनीतिक हस्तक्षेप करना अनिवार्य है किन्तु इन दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के शारीरिक व बौद्धिक प्रमाणन हेतु अपेक्षित जागरूकता न होने एवं जिला चिकित्सालय में मनोचिकित्सक, नैदानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Clinical or Rehabilitation Psychologist) के अभाव/अनुपलब्धता के कारण बौद्धिक दिव्यांगता एवं SLD श्रेणी के दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनने में आ रही समस्याओं से विभिन्न संस्थाओं द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संज्ञानित कराया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।)

उल्लेखनीय है कि विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 में दिव्यांगता की कुल 07 श्रेणियों के प्रमाणन हेतु प्रत्येक जनपद में एक दिव्यांग बोर्ड का गठन किया गया जिसमें दिव्यांग बोर्ड के अध्यक्ष के साथ दो अथवा तीन सदस्यों (कुल 04 सदस्य) द्वारा दिव्यांगजन की दिव्यांगता का प्रमाणन किया जाता था। वर्तमान में विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 को निरसित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को पूरे देश में प्रभावी किया जा चुका है जिसमें दिव्यांगता की 07 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है किन्तु इन 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों (विशेषकर मानसिक एवं बहु दिव्यांगता) के प्रमाणन हेतु कोई नवीन दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किये गए हैं।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में भी प्रत्येक जनपद में पूर्व निर्धारित व्यवस्थानुसार ही दिव्यांगता बोर्ड के कुल 04 सदस्यों द्वारा दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र / यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। अतः प्रत्येक जनपद में दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है व भारी संख्या में आवेदन लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में सम्मिलित की गई नवीन श्रेणियों की दिव्यांगता का प्रमाणन भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जनपद में गठित दिव्यांग बोर्ड में पूर्व से नामित चिकित्सकों के स्थान पर नवीन विशेषज्ञ

SCAN AnyScanner

चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुए दिव्यांगता बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। प्रत्येक जनपद में दिव्यांगता बोर्ड का पुनर्गठन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि दिव्यांगता बोर्ड में अस्थिबाधित, नेत्र व ई0एन0टी0 विशेषज्ञों के अतिरिक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में समाहित नवीन दिव्यांगता श्रेणियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों यथा न्यूरोसर्जन, मनोचिकित्सक आदि का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार प्रत्येक जनपद में पुनर्गठित दिव्यांगता बोर्ड में दिव्यांगता प्रमाणन हेतु न्यूनतम 07 सदस्य विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नामित किए जाएं। ध्यातव्य है कि इस सम्बन्ध में **भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई है जिसके माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी \सिविल सर्जन के नेतृत्व वाले दिव्यांगता बोर्ड में सदस्य के रूप में निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेवाएं भी सम्मिलित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं** जो प्रमाणपत्र प्रक्रिया को सुगम व समयबद्ध बनाने में निःसंदेह ही सहायक सिद्ध होंगें। **(छाया प्रति संलग्न)** इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु राज्य के 35 मेडिकल कॉलेजों का भी सहयोग लिया जा सकता है जिससे बौद्धिक दिव्यांगता एवं SLD दिव्यांगजन की दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रमाणन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अत्यावश्यक है कि प्रत्येक जनपद में दिव्यांग प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत किए जाने के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत दिव्यांगता बोर्ड के कार्य दिवसों में भी वृद्धि की जाए व इसे बढ़ाकर सप्ताह में न्यूनतम तीन दिन अवश्य किया जाए ताकि जनपद स्तर पर लम्बित आवेदनों का ससमय निस्तारण हो सके।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2024 के आलोक में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराते हुए प्रश्नगत प्रकरण पर यथाशीघ्र विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ताकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का समुचित समाधान हो व कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित //

1. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान् अजय भनोट जी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी एवं अपर आयुक्त दिव्यांगजन, समस्त जनपद, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किए जाने हेतु प्रेषित।
3. श्री अमरेश चन्द्रा, राज्य प्रतिनिधि–चेंज इंक फाउंडेशन, 109, सर विठ्ठलदास चेम्बर्स, 16 मुम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400023 को उनके पत्र दिनांक 30-01-2025 के क्रम में सूचनार्त प्रेषित।

(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त

SCAN AnyScanner

न्यायालय / कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश

{ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अधीन }

पत्रांक 371-75 / 425 / रा.आ.दि.ज. / 2025

लखनऊ, दिनांक : 03/06/2025

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश
कैसरबाग लखनऊ - 226001

विषय:- उत्तर प्रदेश में बौद्धिक एवं विशिष्ट अधिगम (SLD) दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यू0डी0आई0डी0 कार्ड जारी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) 2016 में निहित प्रावधानानुसार बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता SLD (डिस्लेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिसप्रेक्सिया, डिसग्राफिया) को मुख्यधारा में सम्मिलित किए जाने हेतु सक्रिय रणनीतिक हस्तक्षेप करना अनिवार्य है किन्तु इन दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के शारीरिक व बौद्धिक प्रमाणन हेतु अपेक्षित जागरूकता न होने एवं जिला चिकित्सालय में मनोचिकित्सक\ नैदानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Clinical or Rehabilitation Psychologist) के अभाव/अनुपलब्धता के कारण बौद्धिक दिव्यांगता एवं SLD श्रेणी के दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनने में आ रही समस्याओं से विभिन्न संस्थाओं द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संज्ञानित कराया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।)

उल्लेखनीय है कि विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 में दिव्यांगता की कुल 07 श्रेणियों के प्रमाणन हेतु प्रत्येक जनपद में एक दिव्यांग बोर्ड का गठन किया गया जिसमें दिव्यांग बोर्ड के अध्यक्ष के साथ दो अथवा तीन सदस्यों (कुल 04 सदस्य) द्वारा दिव्यांगजन की दिव्यांगता का प्रमाणन किया जाता था। वर्तमान में विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 को निरसित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को पूरे देश में प्रभावी किया जा चुका है जिसमें दिव्यांगता की 07 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है किन्तु इन 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों (विशेषकर मानसिक एवं बहु दिव्यांगता) के प्रमाणन हेतु कोई नवीन दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किये गए हैं।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में भी प्रत्येक जनपद में पूर्व निर्धारित व्यवस्थानुसार ही दिव्यांगता बोर्ड के कुल 04 सदस्यों द्वारा दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र / यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। अतः प्रत्येक जनपद में दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है व भारी संख्या में आवेदन लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में सम्मिलित की गई नवीन श्रेणियों की दिव्यांगता का प्रमाणन भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जनपद में गठित दिव्यांग बोर्ड में पूर्व से नामित चिकित्सकों के स्थान पर नवीन विशेषज्ञ

चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुए दिव्यांगता बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। प्रत्येक जनपद में दिव्यांगता बोर्ड का पुनर्गठन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि दिव्यांगता बोर्ड में अस्थिबाधित, नेत्र व ई0एन0टी0 विशेषज्ञों के अतिरिक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में समाहित नवीन दिव्यांगता श्रेणियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों यथा न्यूरोसर्जन, मनोचिकित्सक आदि का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार प्रत्येक जनपद में पुनर्गठित दिव्यांगता बोर्ड में दिव्यांगता प्रमाणन हेतु न्यूनतम 07 सदस्य विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नामित किए जाएं। ध्यातव्य है कि इस सम्बन्ध में **भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई है जिसके माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी \सिविल सर्जन के नेतृत्व वाले दिव्यांगता बोर्ड में सदस्य के रूप में निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेवाएं भी सम्मिलित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं** जो प्रमाणपत्र प्रक्रिया को सुगम व समयबद्ध बनाने में निःसंदेह ही सहायक सिद्ध होंगें। **(छाया प्रति संलग्न)** इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु राज्य के 35 मेडिकल कॉलेजों का भी सहयोग लिया जा सकता है जिससे बौद्धिक दिव्यांगता एवं SLD दिव्यांगजन की दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रमाणन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अत्यावश्यक है कि प्रत्येक जनपद में दिव्यांग प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत किए जाने के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत दिव्यांगता बोर्ड के कार्य दिवसों में भी वृद्धि की जाए व इसे बढ़ाकर सप्ताह में न्यूनतम तीन दिन अवश्य किया जाए ताकि जनपद स्तर पर लम्बित आवेदनों का समय निस्तारण हो सके।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2024 के आलोक में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराते हुए प्रश्नगत प्रकरण पर यथाशीघ्र विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ताकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का समुचित समाधान हो व कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित //

1. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान् अजय भनोट जी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी एवं अपर आयुक्त दिव्यांगजन, समस्त जनपद, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किए जाने हेतु प्रेषित।
3. श्री अमरेश चन्द्रा, राज्य प्रतिनिधि–चेंज इंक फाउंडेशन, 109, सर विठ्ठलदास चेम्बर्स, 16 मुम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400023 को उनके पत्र दिनांक 30-01-2025 के क्रम में सूचनार्त प्रेषित।

(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त

SCAN AnyScanner

Law Officer
30/1/25

Changeinkk Foundation
109, Sir Vithaldas
Chambers, 16 Mumbai
Samachar Marg, Fort,
Mumbai 400 023.

Tel: + 91-9453043017
Email: amresh@changeinkk.org
www.changeinkk.org
www.facebook.com/changeinkkfoundation
www.instagram.com/changeinkk

30/Jan/25

सेवा में,

प्रो. हिमांशु शेखर झा ,
राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश
राज्य आयुक्त कार्यालय, जेबीटीसी कंपाउंड
निशातगंज, लखनऊ,

विषय - उत्तर प्रदेश में विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(SLD) दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र एवं UDID के संदर्भ में।**

महोदय,

चैंजइंक फाउंडेशन की ओर से अभिवादन।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD 2016) 2016 और नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP20) में SLD; (डिस्लेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया) को प्रमुखता से रखा गया है। साथ ही साथ दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम SLD जनो को पुनर्वास के सभी अधिकार प्रदान करता हैं।

मानकों के अनुसार लगभग 15 प्रतिशत लोग SLD के दायरे में हो सकते हैं, शोध यह भी सिद्ध करते हैं कि, SLD से ग्रसित लोगो की IQ औसत या औसत से अधिक होती है। राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर SLD व्यक्तियों के अनेकों सफलतम उदाहरण हैं, साथ ही साथ दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 SLD जनो को पुनर्वास के सभी अधिकार प्रदान करता हैं।

चैंजइंक फाउंडेशन संस्था का यह विश्वास है कि समुदाय, स्कूल, विश्वविद्यालय और कार्य स्थलों में SLD को मुख्यधारा में शामिल करने के लिये सक्रिय रणनीतिक हस्तक्षेप करना अनिवार्य है। संस्था इंक्लूजन (Inclusive) में सम्मिलित सभी हित धारकों के क्षमता निर्माण के लिये निरंतर प्रतिबद्ध है।

जनपद स्तर पर जागरूकता एवं सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सक(psychiatrist) की कमी के कारण SLD के दिव्यंगता प्रमाणपत्र बनने में अवरोध आ रहे थे, परन्तु **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 12 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी \सिविल सर्जन के नेतृत्व वाले दिव्यांगता बोर्ड में सदस्य के रूप में निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेवाएं भी शामिल की गई हैं।** इससे प्रमाणपत्र प्रक्रिया को सुगम और समयबद्ध बनाने में सहायता मिलेगी। (छाया प्रति संलग्न)

Changeinkk Foundation
109, Sir Vithaldas
Chambers, 16 Mumbai
Samachar Marg, Fort,
Mumbai 400 023.

Tel: +91 9453043017
Email: amresh@changeinkk.org
www.changeinkk.org
www.facebook.com/changeinkkfoundation
www.instagram.com/changeinkk

इसके अतिरिक्त, राज्य के 35 मेडिकल कॉलेजों का भी तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है जिससे SLD जनों की दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्माण प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सके।

इसके सफल संचालन हेतु जिले स्तर पर जिला चिकित्सालय और निजी डॉक्टरों के एक पैनल का गठन होना चाहिए और दिव्यांगता बोर्ड के कार्य दिवसों को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस कार्य का नेतृत्व जिलाधिकारी \ सहायक आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा किया जा सकता है, जिनकी त्रैमासिक समीक्षा आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश द्वारा की जानी चाहिए। इससे प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जा सकेगा और इसे प्रभावी रूप से लागू करने हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार की जा सकेगी।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में स्वास्थ्य विभाग को विशेष अभियान के माध्यम से विशिष्ट अधिगम अक्षमता (SLD) दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्माण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करे, जिससे कि SLD दिव्यांगजन Rpwd Act 2016 के तहत दी गई सेवाओं और सुविधाएँ प्राप्त कर समाज की मुख्यधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें।

संस्था सदैव आपकी आभारी रहेगी

(1) 41

भवदीय,

30/Jan/25

अमरेश चंद्रा
राज्य प्रतिनिधि
9453043017